अनुदान संख्या 32 – आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 32–DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2561,16,00		2561,22,00	1982,62,08	–578,59,92
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					189,08,73
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1542,76,00	264,16,17	–1278,59,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1271,06,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2052'' सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	3996.00	6060.01	5837.20	–222.81
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2063.01			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2047'' अन्य राजकोषीय सेवाएं	Major Head "2047" Other Fiscal Services					
मू.	O.	2736.00		2842.44	2719.84	–122.60
पु.	R.	106.44				
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	3722.00		3324.24	3152.15	–172.09
पु.	R.	–397.76				
मुख्य शीर्ष "2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services					
मू.	O.	2.00				
पू.	S.	3.00		198.00	194.51	–3.49
पु.	R.	193.00				
मुख्य शीर्ष "2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare					
मू.	O.	2550.00		33.00	31.93	–1.07
पु.	R.	–2517.00				
मुख्य शीर्ष "3075'' अन्य परिवहन सेवाएं	Major Head "3075" Other Transport Services					
मू.	O.	136216.00		133300.00	95433.67	–37866.33
पु.	R.	–2916.00				
मुख्य शीर्ष "3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	12869.00				
पू.	S.	1.00		7164.61	7092.76	–71.85
पु.	R.	–5705.39				

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with other Countries					
मू.	O.	13824.00		4089.51	3600.02	–489.49
पु.	R.	–9734.49				

(I) 12411.04 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें में 12400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि को अंशदान" - 2400.00 लाख रु. मांग संख्या 40 - 'पेंशन' के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करने के लिए राशि का तकनीकी रूप से अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - अध:संरचनात्मक विकास के लिए सहायता" - 10000.00 लाख रु. स्कीम को लागू किए जाने के लिए उत्तरदायी संबंधित मंत्रालयों द्वारा कोई आवश्यकता प्रस्तुत न किए जाने कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2047" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत-

(का) "अनिवार्य जमा (आयकर दाता) स्कीम 1974 के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज" - 153.31 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विशेष न्यायालयों का परिपालन (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराध विचारण)"- 122.74 लाख रु. की बचत

(I) Provision of Rs.12411.04 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.12400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programme - Other Expenditure-Contribution to Pension Fund for Government Employees" - Rs.2400.00 lakhs - due to technical surrender of amount to obtain supplementary grant under Demand No.40- "Pensions".

(B) Major Head "3475" - "Other Expenditure-Assistance for Infrastructure Development"- Rs.10000.00 lakhs - due to no requirement by concerned Ministries responsible to implement the scheme.

(II) Under Major Head "2047"- "Other Expenditure" -

(A) "Interest on Deposits under Compulsory Deposit (Income - Tax Payers) Scheme 1974"- saving of Rs.153.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 200.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

(B) "Implementation of Special Courts (Trial of offence relating to Transaction in Securities)" - saving of Rs.122.74 lakhs (against the sanctioned

(422.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष न्यायालय और अभिरक्षण कार्यालय में रिक्त पदों के भरे जाने, मुंबई कार्यालय में कार्यालय आवास के खाली होने और साथ ही सादगी उपायों के कारण भी हुई।

provision of Rs.422.35 lakhs) was due to vacant posts in the special court and custodians office, unoccupied position of office accommodation at Mumbai office and also on account of austerity measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय" के अंतर्गत-

(III) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure" -

(का) "औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड"- 161.81 लाख रु. की बचत (713.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सादगी उपायों और साथ ही कुछ पदों के रिक्त होने के कारण हुई।

(A) "Board for Industrial and Financial Reconstruction"- saving of Rs.161.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.713.00 lakhs) was due to austerity measures and also on account of some posts remaining vacant.

(खा) "ऋण वसूली अधिकरण"- 322.07 लाख रु. की बचत (1920.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कुछ ऋण वसूली अधिकरणों के संबंध में किराया करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Debts Recovery Tribunal"- saving of Rs.322.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1920.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of rent agreement in respect of some Debts Recovery Tribunals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - भारत में पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए सांस्थानिक क्षमता का सृजन" के अंतर्गत 110.86 लाख रु. की बचत (138.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन परियोजनाओं से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Expenditure – Creating institutional capacity for reforming India's Pension System" – saving of Rs.110.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.138.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims from the study projects.

(V) मुख्य शीर्ष "3075" - "अन्य - लाभांश राहत के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता - रेलवे को अदायगी" के अंतर्गत 40782.33 लाख रु. की बचत (136216.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभांश राहत के लिए आर्थिक सहायता के संबंध में रेलवे से कम आवश्यकता प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3075"- "Others-Subsidy to Railways towards dividend relief – Payment to Railways" - saving of Rs.40782.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.136216.00 lakhs) was due to less requirement received from the Railways in connection with subsidy towards dividend relief.

(VI) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - भारतीय दूतावास, वाशिंगटन का आर्थिक स्कंध" के अंतर्गत 149.18 लाख रु. की बचत (325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक स्कंध में कुछ पदों के रिक्त रहने और किफायती अनुदेशों को अपनाए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure – Economic Wing of the Embassy of India, Washington" – saving of Rs.149.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs) was due to some posts remaining vacant in the Economic Wing and observance of economy instructions.

(VII) मुख्य शीर्ष "3605" के अंतर्गत -

(VII) Under Major Head "3605" -

(का) "अन्य देशों के साथ सहयोग - विकास सहायता"- 9982.71 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के

(A) "Co-operation with other countries - Development Assistance" – saving of Rs.9982.71

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी सरकारों को प्रदान की गई अधिकतम ऋण सीमा के संबंध में निर्यात-आयात बैंक/अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज समकरण के संबंध में कम आवश्यकता निर्दिष्ट किए जाने और भारत के इराक न्यास निधि को अंशदान के लिए उद्दिष्ट निधियों का संवितरण न किए जाने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to less requirement indicated in respect of interest equalisation to Export-Import Bank / other commercial banks in respect of credit lines extended to foreign Governments and non-disbursal of funds earmarked for India's contribution to Iraq Trust Fund.

(खा) "संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान - अन्य विकास कार्यक्रम''- 185.85 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में अनुकूल उतार-चढ़ाव आने के कारण हुई।

(B) "Contribution to United Nations Development Programme – Other Development Programme"- saving of Rs. 185.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs) was due to favourable exchange rate variation.

(VIII) तीन शीर्षों के अंतर्गत 258.37 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 से 90 प्रतिशत तक थीं।

(VIII) Under three heads savings of Rs.258.37 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 20 to 90 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6194.01 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.6194.01 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in December, 2004 and March, 2005 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052'' - "सचिवालय - आर्थिक कार्य विभाग''- 2063.01 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1840.20 लाख रु. था।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat-Department of Economic Affairs" - Rs.2063.01 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1840.20 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2075'' - "अन्य व्यय - यूएनडीपी सहायता के अंतर्गत कंट्री कोआपरेशन फ्रेम वर्क- II के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट प्रोजेक्ट''- 149.00 लाख रु.।

(B) Major Head "2075" - "Other Expenditure - Umbrella Support Project for Country Co-operation frame work-II under UNDP Assistance"- Rs.149.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475'' - "अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना - ताजिकिस्तान को प्रदान की गई अधिकतम ऋण-सीमा के संबंध में बकाया देयताओं का अधित्याग''- 3982.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3981.88 लाख रु. था।

(C) Major Head "3475"- "Irrecoverable Loan written off - Waiving off outstanding dues in respect of line of credit extended to Tajikistan"- Rs.3982.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3981.88 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2047'' - "अल्प बचतों का संवर्धन-राष्ट्रीय बचत संस्थान''- 256.28 लाख रु. का अधिक व्यय (1298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत

(A) Major Head "2047" - "Promotion of Small Savings - National Saving Institute" – excess of Rs.256.28 lakhs (against the sanctioned provision

प्रतिभूति प्रैस, नासिक से प्रकाशन के लिए प्राप्त बिलों के संबंध में अतिरिक्त व्यय किए जाने के कारण हुआ।

of Rs.1298.00 lakhs) was due to incurring of additional expenditure in connection with bills received from India Security Press, Nasik for publication.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - आरक्षित निधियों को अंतरण"- 690.55 लाख रु. का अधिक व्यय (935.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीमाकृत जलयानों के मूल्य में वृद्धि होने तथा स्कीम के अतर्गत बीमाकृत बेड़े में जलयानों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3475"- "Other Expenditure-Transfer to Reserve Funds" - excess of Rs.690.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.935.00 lakhs) was due to increase in the value of the vessels insured and due to variation in the number of vessels in the fleet insured under the scheme.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 74.72 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.74.72 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	140000.00	..	..	..
पु.	R.	–140000.00			
मुख्य शीर्ष "7605" विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	14276.00	27170.00	26416.17	–753.83
पु.	R.	12894.00			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत 141101.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 141100.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों कें अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.141101.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.141100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5475'' - ''अन्य व्यय - अध:संरचना विकास के लिए सहायता''- 140000.00 लाख रु. संबंधित मंत्रालयों से निधियों की आवश्यकता न होने के कारण थे।

(A) Major Head "5475" - "Other Expenditure-Assistance for Infrastructure Development"- Rs.140000.00 lakhs - due to non - requirement of funds from the concerned Ministries.

(खा) मुख्य शीर्ष ''7605''-

(B) Major Head "7605"-

(क) ''उज़्बेकिस्तान की सरकार को कर्ज''- 500.00 लाख रु.; और

(ख) ''वियतनाम की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट, 1995''- 600.00 लाख रु.।

(a) "Loans to Government of Uzbekistan"- Rs.500.00 lakhs; and

(b) "Loans to Government of Vietnam - New credit, 1995"-Rs.600.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रचालनात्मक अधिकतम ऋण सीमा को समाप्त किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to closing of operational credit line.

(II) मुख्य शीर्ष ''7605'' के अंतर्गत-

(II) Under Major Head "7605"-

(का) ''कंबोडिया की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट''- 631.36 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)किसी नई संविदा के प्रचालनाधीन न होने के कारण हुई।

(A) "Loans to Government of Cambodia-New Credit"- saving of Rs.631.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to no fresh contract was under operation.

(खा) ''मारीशस की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट, 1994''- 1246.59 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदाकार पक्षों द्वारा धीमा उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(B) "Loans to Government of Mauritius - New Credit, 1994" - saving of Rs.1246.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to slow utilisation by the contracting parties.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''7605'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "7605" - under the following heads:-

(का) ''म्यांमार की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट''- 7626.01 लाख रु. का अधिक व्यय (862.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) "Loans to Government of Myanmar-New Credit"- excess of Rs.7626.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.862.00 lakhs);

(खा) ''सूरीनाम की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट''- 2064.43 लाख रु. का अधिक व्यय (1413.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) "Loans to Government of Surinam - New Credit"- excess of Rs.2064.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1413.00 lakhs);

(गा) ''श्रीलंका की सरकार कर्ज - नया क्रेडिट, 1994''- 5138.32 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) "Loans to Government of Sri Lanka-New Credit, 1994" - excess of Rs.5138.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs); and

(घा) ''लाओस की सरकार को कर्ज - नया क्रेडिट'' - 290.36 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) "Loans to Government of Laos - New Credit"- excess of Rs.290.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अतर्गत अधिक व्यय भारत सरकार की अधिकतम ऋण सीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित आदाता देशों द्वारा संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुआ। इनके अंतर्गत व्यय वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संविदा की राशि और तत्पश्चात संविदाकारों द्वारा माल के नौभरण पर निर्भर था।

Excess under the above four heads was due to finalisation of contracts by respective recipient countries for availing the Government of India line of credit. The expenditure under there depends on the amount of contracts approved by Ministry of Finance and thereafter the shipment of goods by the contractors.